दिनांक	न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-01, केकडी, जिला-अजमेर। विकास कुमार माहेश्वरी बनाम वरूण टांक दीवानी वाद प्रकरण संख्या–15/2019 , सीआईएस–19/2019	अनुपालना टिप्पणी
27-02-2026	वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत किया। जवाब की प्रति वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। 1. वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 18.02.2026 इस आशय का पेश किया कि वादी अपनी बैंक खाता संख्या 683601410281 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा केकडी का अकाउन्ट स्टेटमेन्ट दिनांक 02.01.2015 से 06.06.2014 तक की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना चाहता है। वादी ने उक्त दस्तावेज दिनांक 30.08.2019 को प्राप्त किया था तथा घर पर रखे दस्तावेजों में शामिल हो जाने के कारण अभी सफाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। वादी ने प्रतिवादी को 5,00,000/–(अक्षरे पांच लाख रूपये) रूपये की राशि दिनांक 06.06.2014 को उधार दी थी। उधार दिए जाने की राशि ट्रांसफर किये जाने का विवरण उक्त दस्तावेज में वर्णित है तथा उक्त दस्तावेज वाद के विषय वस्तु के निस्तारण में सहायक होगें। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र संलग्न है। 2. प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देकर मुख्य रूप से कथन किया कि वादी के द्वारा कथित स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति वाद के साथ प्रस्तुत नहीं किए जाने का सद्भाविक कारण नहीं बताया है। वादी का प्रतिवादी को दिनांक 06.06.2014 को उधार दी गई राशि का कथन बेबुनियाद है तथा कथित राशि ट्रांसफर हो जाने का विवरण का कथन विरोधाभासी है। वादी ने उक्त दस्तावेज किस प्रकार से आवश्यक है यह आधार नहीं बताया है। अतः निवेदन है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाए। 3. वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथा प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अपने शपथ पत्र में दोहराया। 4. उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। न्यायालय का मत निम्न प्रकार से है। 5. वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध 5,00,000/– (अक्षरे पांच लाख रूपये) वसूली हेतु दावा पेश दिनांक 31.08.2019 को पेश किया है। वादी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित वादी के बैंक 27/2/2026 अपर जिला न्यायाधीश क्र.सं.1, केकड़ी (राज.)	

27-02-2026

स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लेने हेतु पेश किया है। वादी स्वयं के द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उक्त बैंक स्टेटमेंट वादी को दिनांक 30.08.2019 को प्राप्त हो गए थे तथा वादी ने दिनांक 31.08.2019 को वाद पत्र पेश किया है तथा प्रार्थना पत्र में मात्र कथन किया गया है कि उक्त दस्तावेज घर पर रखे दस्तावेजों में शामिल हो जाने के कारण नहीं मिले तथा साफ सफाई के दौरान प्राप्त हुए। प्रार्थना पत्र में वर्णित बैंक स्टेटमेंट पक्षकारान के मध्य राशि उधार दिए जाने के समय से संबंधित हैं तथा आवश्यक दस्तावेज है।

6. वादी के द्वारा वादपत्र दिनांक 31.08.2017 को पेश किया है तथा सन् 2019 से सन् 2026 तक उक्त दस्तावेज को न्यायालय में बैंक से पुनः बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर सकता था। वादी के आचरण से यह स्पष्ट है कि वादी स्वयं ही लापरवाह है तथा वादी के द्वारा प्रार्थन पत्र लगभग 07 साल के उपरान्त पेश किया है जिसका कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है लेकिन केवल मात्र विलम्ब के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है, चुंकि उक्त दस्तावेज वाद के विषयवस्तु से संबंधित तथा सुसंगत होने से रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र कॉस्ट पर स्वीकार किया जाने योग्य है।

:: <u>आदेश</u> ::

7. अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 18.02.2026 5,000/–रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है। वादी **कॉस्ट राशि 5,000/–रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये)** Litigants Welfare Fund Scheme- Amount of cost be deposited through Demand Drafts or Bankers Cheque in the name of REGISTRAR GENERAL LWFA, Rajasthan High Court in Bank Accout no. 41673952674 of SBI Jhalamand Branch, Jodhpur.

उक्त राशि जमा कराकर रसीद न्यायालय में पेश करने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाएगा।

पत्रावली वास्ते पेश होने रसीद/साक्ष्य वादी (जिरह) दिनांक 13.03.2026 को पेश हो।

27/2/2026
अपर जिला न्यायाधीश
क्र.सं.1, केकड़ी (राज.)